न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 79/11 **निर्णय दिनांकः–** 31-3-21
(जीसीएमएस संख्या 2011/00096)

1. मांगीलाल पुत्र भूरे खॉ
2. मौहम्मद अली पुत्र मांगीलाल
3. मनोज पुत्र राजा बाबु

जाति निर्वाण निवासीगण सादुलगंज, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर हाल चक 15 बीएसएम पटवार हल्का रिड़मलसर पुरोहितान तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. मु. लिछमा बेवा कानाराम
2. रामचन्द्र
3. रेवन्तराम
4. रामकरण — पुत्र/पुत्रियॉ कानाराम
5. गोपाल
6. मूली
7. कमा
8. बालू

अकवाम जाट निवी ग्राम नैनो का बास, तहसील व जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2011
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक अ[illegible]
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पो[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:19:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

—निर्णय—

1\. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय दिनांक 31—05—2011 जिसके द्वारा अपीलांटस का दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2\. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3\. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके चक 15 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 179/62 के किला नम्बर 15 से 18 एवं 22 व किला नम्बर 23 से 25 व मुरब्बा नम्बर 179/63 के किला नम्बर 2 से 8, 13, 14 इस प्रकार कुल 17 बीघा भूमि में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसके आसे पासे में उत्तर सीमा ग्राम रिड़मलसर, दक्षिण में प्रतिवादीगण की भूमि, पूर्व में वादीगण की भूमि व पश्चिम में बाईपास रोड एनएच 89 स्थित है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये ही बेदखली की कार्यवाही करने व उसे रोकने के लिए अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में न तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर निस्तारण किया गया। मात्र यह अंकित करते हुए कि वादीगण ने ऐसा कोई कथन अपने वाद में अंकित नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि प्रतिवादी ... वाली भूमि के तात्विक मूल्य में कमी कर रहे है अथवा भूमि के ... में परिवर्तन कर रहे है ऐसी स्थिति में वादकरण प्राप्त नहीं होने के कारण वादी द्वारा वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:19:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप खारिज किया गया है। जिसक कतई अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष चिरनिषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया। जिस पर अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कब्जे काश्त की जॉच किये बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए दावा खारिज किया गया है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि है, ऐसी स्थिति में किसी के कानूनी हक को मात्र सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह कानून का प्रतिपादित सिद्वान्त है। अदालत मातहत ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों पर कोई गौर किये बिना एक अवैद्य आदेश द्वारा अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया जिससे अपीलार्थी को अपने विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि पत्रावली में सीपीसी के सभी प्रावधानों की पालना करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि स्व. कानाराम की भूमि थी। उक्त भूमि कानाराम की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में जरिये विरासतन दर्ज की गई। अपीलांट्स उक्त भूमि में से 3/11 हिस्सा क्रय किये जाने का कथन करते हुए वादग्रस्त भूमि पर चिरनिषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु अदालत मातहत के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्ट्रेनजर परचेजर है तथा भूमि के विशिष्ट [illegible] पर कब्जा नहीं हो सकता। वादीगण ने संयुक्त खाते की भूमि में क्रय की है। धारा 188 के तहत कब्जा होना जरूरी है। बिना कब्जा काश्त के धारा 188 का दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:19:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नहीं लाया जा सकता। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के तात्विक मूल्य में कमी कर रहे है अथवा भूमि का नुकसान या श्रेणी में परिवर्तन कर रहे है। वादीगण ने अपने वादपत्र में खाता विभाजन का अनुतोष भी नहीं भू–भाग पर सह खातेदारों के विरूद्व चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी नहीं होने के आधार पर व वादीगण को वादकारण प्राप्त नहीं के आधार पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपीलांट्स/वादीगण का वादपत्र खारिज किया गया है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई राजस्व दस्तावेजी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे कि अपीलांट्स के कथनों को कोई बल प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट्स किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत तरीके से अपीलांट्स/वादीगण का वाद खारिज किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि वाके रोही ग्राम रिड़मलसर पुरोहितान के चक 15 बीएमएम के मुरब्बा नम्बर 179/62 के किला नम्बर 15 से 18 एवं 22 व किला नम्बर 23 से 25 व मुरब्बा नम्बर 179/63 के किला नम्बर 2 से 8, 13, 14 इस प्रकार कुल 17 बीघा भूमि में से 4 बीघा 10 जिसके आसे पासे में उत्तर सीमा ग्राम रिड़मलसर, दक्षिण में प्रतिवादीगण की भूमि, पूर्व में वादीगण की भूमि व पश्चिम में बाईपास [illegible] एच 89 स्थित है, के बाबत् चिरनिषेधाज्ञा के बाबत् दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:19:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा दावा बार्ड वाई लॉ होने के कारण खारिज करने का कथन करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स की खरीदशुदा भूमि थी। अपीलांट्स द्वारा उक्त भूमि पर अपने कब्जे काश्त की सुरक्षा हेतु अदालत मातहत के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि बिना कब्जे काश्त के धारा 188 के तहत वादपत्र नहीं लाया जा सकता। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर वादग्रस्त भूमि के बाबत् मौके व कब्जे काश्त की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए व अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर न तो तनकीयात् कायम की गई, ना ही अपीलांट्स को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान किया गया है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 30–11–2007 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया था, उक्त प्रार्थना पत्र में मात्र यह अभिलिखित किया गया था कि दावा वादी में प्रस्तुत वादपत्र में दर्ज कथनों से कोई वाद कारण प्रकट नहीं होता है। क्लीयर राईट टू स्यू के अभाव में वाद पत्र रिजेक्ट योग्य है। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र विगत् चार वर्षो में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई व दिनांक 09–05–2011 को उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली आदेश हेतु निर्धारित की गई। उक्त दिनांक के पश्चात् पत्रावली दिनांक 20–05–2011 को पुनः मजीद बह[illegible] निर्धारित की गई व दिनांक 31–05–2011 को प[illegible]। प्रकरण में जब पत्रावली मजीद बहस हेतु निर्धारित क[illegible] गई थी, तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे [illegible]रण में पुनः पक्षकारों की बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Sayani
Date: 2021.07.15 12:19:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सुनने के पश्चात् ही निर्णय पारित करते। अदालत मातहत द्वारा पूर्व में सुनी गई बहस के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश के अंतिम पैरा में अभिलिखित किया गया है कि कोई भी सह काश्तकार सयुक्त खाते की उर्वरा शक्ति या मूल्य में कोई तात्विक कमी या नुकसान पहुँचाने का कार्य नहीं कर सकता। जहाँ तक सह खातेदारों के विरूद्ध वादपत्र लाने का प्रश्न है, यदि सह काश्तकार की मंशा भूमि की प्रकृति बदलने पर या उसकी उर्वरा को नष्ट करने की हो तो सह काश्तकार के विरूद्ध भी निषेधाज्ञा का वाद दायर किया जा सकता। अदालत मातहत के उक्त अंकन से यह तो साबित है कि सह काश्तकार के विरूद्ध वादपत्र लाया जा सकता है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत की अभिलिखित की गई उक्त टिप्पणी साक्ष्य की मोहताज थी, जिस पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए व अपीलांट्स/वादीगण को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा वाद के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत अपीलाट्स का वादपत्र विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की पुष्टि किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—05—2011 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए वादपत्र के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 15-[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:19:20 IST
Reason: SelfAttested